रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2003/वैशाख 16, 1925

No. 69] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2003/VAISAKHA 16, 1925

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2003

भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश एवं संचालन हेतु विनियम

सं. फा. 37-3/विधिक(vi)/2003.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 के साथ पठित धारा 10 के खण्ड (ख), खण्ड (च), खण्ड (छ) तथा खण्ड (ढ), (ण), (त) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्, भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश एवं संचालन को विनियमित करने के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों से ये विनियम बनाती है-

उद्देश्य

क. तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहकारिता एवं भागीदारी को सुकर बनाना।

ख भारत में विद्यार्थियों को पहले से ही अनुशिक्षण सहित प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक सेवाएं जिनके परिणाम स्वरूप तकनीकी शिक्षा में डिग्री तथा डिप्लोमा की उपाधियां प्राप्य होती हैं, प्रदान कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के संचालन को व्यवस्थित करना, चाहे यह शिक्षा पारम्परिक/औपचारिक, गैर औपचारिक तथा दूरवर्ती शिक्षा माध्यम जैसी किसी भी डिलीवरी पद्धति के अधीन या तो स्वयं उनकी अपनी व्यवस्था के द्वारा या फिर किसी भारतीय शैक्षणिक संस्था के सहयोग से अथवा किसी निजी शैक्षणिक सेवा प्रदाता के साथ मिलकर दी जा रही हो।

ग. भारत में विद्यार्थी समुदाय के हितों की रक्षा करना और अभातशिप के मानकों एवं मानदण्डों का समा अनुपालन सुनिश्चित करना।

घ. विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा भारत में चलाई जाने वाली ऐसी समस्त शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जवाबदेही लागू करना।

ङ. भारत में तकनीकी शिक्षा देने के लिए उन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना जोकि अपने मूल देश में प्रत्यायित नहीं है।

च. देश के हितों की रक्षा करना और गलती करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध प्रत्येक मामले के आधार पर, यथा आवश्यक दण्डात्मक उपाय करना।

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. इन विनियमों को "भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश एवं संचालन हेतु अभातशिप विनियम, 2003" कहा जाए।

2. ये नियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

अनुप्रयोज्यता

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे -

1. भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं पर जोकि इस तकनीकी शिक्षा के बाद स्नातकोत्तर एवं डॉक्टोरल कार्यक्रमों सहित डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर की उपाधियां प्रदान करते हैं।

2. सहकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से किसी विश्वविद्यालय की उपाधियां/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा देने के इच्छुक किसी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्था तथा/अथवा निजी शैक्षणिक सेवा प्रदाता पर।

3. भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही वर्तमान सहकारी व्यवस्थाओं/विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ की गई व्यवस्थाओं पर।

4. भारत में, किसी भी तरीके से चलाई जा रही किन्हीं अन्य गतिविधियों के संदर्भ में, ऐसी गतिविधियों को इन विनियमों के अंतर्गत लाने के लिए परिषद् द्वारा यथाविधि निश्चित किये जाने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं पर।

इन विनियमों के लागू हो जाने के बाद कोई विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था परिषद् की स्पष्ट अनुमति/अनुमोदन के बिना स्नातकोत्तर एवं डाक्टोरल कार्यक्रमों सहित डिप्लोमा/उपाधियां प्रदान करने हेतु भारत में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां स्थापित/संचालित नहीं करेगी।

परिभाषाएं

संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होने तक -

क. अभातशिप का अर्थ है:- देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु संसद द्वारा अभातशिप अधिनियम (1987 का 52) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ।

ख. राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल का अर्थ है = भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रत्यायित करने तथा संस्था अथवा कार्यक्रम को मान्य/अमान्य किए जाने की संस्तुति करने के लिए अभातशिप अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निकाय ।

ग. जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का प्रयोग इन विनियमों में किया गया है और जिन्हें ऊपर परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जिन्हें अभातशिप अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अभातशिप अधिनियम (1987 का 52) में अभिप्रेत है।

पंजीकरण की पद्धति

1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्था अथवा किसी निजी शैक्षणिक सेवा प्रदाता के साथ सहकारी व्यवस्था के माध्यम से अथवा सीधे ही भारत में अपनी गतिविधियों के संचालन के इच्छुक किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा अभातशिप को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ संबंधित देश के भारत स्थित दूतावास द्वारा जारी किया गया " अनापत्ति प्रमाण पत्र " संलग्न किया जाए। संबंधित देशों के मिशनों को, भारत में अध्ययन कार्यक्रम चलाने की इच्छुक अपने देश की संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं की प्रामाणिकता प्रमाणित करनी होगी।

2. संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था अभातशिप को दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसमें अन्य संगत विवरणों के साथ उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं, अनुदेशों हेतु उपलब्ध सुविधाओं, संकाय, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं, न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन हेतु अपेक्षित निधियों तथा सहकारिता, यदि कोई हो, के अन्य नियमों एवं शर्तों का विवरण दिया जायेगा।

3. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अभातशिप, आवेदन पत्र की प्राप्ति स्वीकार करेगी। तत्पश्चात प्रस्ताव का आंतरिक प्रक्रमण किया जायेगा तथा यदि कोई कमी होगी तो उसकी सूचना दी जाएगी और यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक होंगे तो उनकी मांग की जायेगी।

4. अभातशिप यदि इस बात से संतुष्ट हो जाएगी कि प्रस्ताव हर प्रकार से पूर्ण है, तो परिषद् द्वारा नामित एक स्थायी समिति प्रस्ताव पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करेगी।

5. स्थायी समिति की संस्तुति पर अभातशिप के अध्यक्ष, संस्था का दौरा करने के लिए और तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अवसंरचनात्मक एवं अनुदेशात्मक सुविधाओं के संदर्भ में न्यूनतम मानकों एवं मानदण्डों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नामित करेगा।

6. परिषद्, बाहरी देश के कार्यक्रम प्रदाता और भारत में कार्यक्रम प्रारंभ करने की इच्छुक संस्था की विश्वसनीयता, शिक्षा की गुणवत्ता, प्रस्ताव के समग्र गुण दोष के बारे में स्थाई समिति और विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और पंजीकरण हेतु अनुमोदन दिए जाने अथवा न दिए जाने के बारे में आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय लेगी।

7. अभातशिप एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी जिसमें संबंधित शैक्षणिक संस्था/विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए तय की गई प्रवेश क्षमता का उल्लेख होगा और जिसमें उस विश्वविद्यालय/संस्था को विनिर्धारित कार्य करने के योग्य घोषित किये जाने का उल्लेख होगा। ऐसे विश्वविद्यालयों /संस्थाओं के नाम अभातशिप द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची में स्वतः शामिल माने जायेंगे।

8. इस प्रकार प्रदान किया गया पंजीकरण, एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा और इस अवधि के दौरान अभातशिप, उक्त संस्था द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा कर सकती है तथा संबंधित एजेंसियों को ऐसी समीक्षा के परिणामों की सूचना समय- समय पर देगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अभातशिप, पंजीकरण को आगे बढा सकती है या फिर पंजीकरण वापिस ले सकती है अथवा अवधि बढ़ाने के लिए ऐसी शर्तें लगा सकती है जो वह उपयुक्त समझें।

9. संचालन की अवधि के दौरान संस्था के साथ भारत की अन्य तकनीकी संस्थाओं के समान ही व्यवहार किया जायेगा और ये संस्थाएं, समय-समय पर जारी किये जाने वाले अभातशिप के सभी नियमों, विनियमों, मानदण्डों एवं दिशा निर्देशों से शासित होंगी।

पंजीकरण के लिए शर्तें

1. इन विनियमों के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि ये संस्थाएं भारत में या तो स्वयं कार्य संचालन करें या फिर भारत में सोसाइटी/न्यास अधिनियम अथवा संगत अधिनियम के माध्यम से स्थापित किसी भारतीय संस्था अथवा भारत में निजी शैक्षणिक सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किसी संस्था के साथ सहकारी व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन करें। इन विनियमों के अंतर्गत किसी 'फ्रेंचाइजी सिस्टम' के अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी गतिविधियां शुरू करने हेतु किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से यह पूर्वापेक्षित होगा कि उसे अपने मूल देश में किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किया गया हो और यदि वहां श्रेणीकरण की व्यवस्था है तो उच्चतर श्रेणी में प्रत्यायित किया गया हो।

3. किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था के साथ तकनीकी शिक्षा, शोध अथवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहकारिता के लिए इच्छुक कोई भारतीय तकनीकी संस्था या तो भारत के किसी विश्वविद्यालय की कोई सम्बद्ध संस्था हो या फिर कोई सम- विश्वविद्यालय हो जिसके पास तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त अंवसरचना हो। ऐसी भारतीय संस्था के लिए यह वांछनीय होगा कि उसने अभातशिप के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल द्वारा अपने कार्यक्रमों का प्रत्यायन करा लिया हो या फिर यथा शीघ्र ऐसा करा पाने की स्थिति में हो। तथापि प्रत्यायन की यह शर्त किसी 'ग्रीन-नोवो' संस्था अथवा किसी नये संयोजना प्रस्ताव पर लागू नहीं की जाएगी।

4. विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें यह घोषित किया गया हो कि भारत में विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधियां/डिप्लोमाओं को मूल देश में मान्यता दी जायेगी और उन्हें अपने मूल देश में उक्त संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली समनुरूपी उपाधियों/डिप्लोमाओं के समकक्ष माना जायेगा।

5. उपाधियां, डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा भारत में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों की नामावली वही होगी जोकि उन संस्थाओं के मूल देश में है। शैक्षिक पाठ्यचर्या , डिलीवरी की विधि, परीक्षा की पद्धति आदि में कोई विशिष्ट अंतर नहीं होगा और ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं को उक्त संस्थाओं के मूल देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

6. उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत में पंजीकृत ऐसे सभी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थाएं, समकक्ष भारतीय उपाधियों के समान ही मान्यता प्राप्त होंगे बशर्ते कि नीचे खण्ड 7 में विनिर्धारित किए गए मापदण्ड पूरे किये गये हों।

7. सहकारी व्यवस्थाओं अथवा अन्यथा व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत में ऐसे पाठ्यक्रम चलाने के उद्देश्य हेतु योग्यताओं को परस्पर मान्यता दिये जाने के लिए डिग्री, डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की समकक्षता चाहने वाले विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर अभातशिप द्वारा समकक्षता संबंधी स्थायी समिति या परिषद् द्वारा निश्चित किये जाने वाले ऐसे ही किसी अन्य तंत्र के माध्यम से विचार किया जायेगा। यदि यह समकक्षता भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा किसी अन्य मान्य राजकीय निकाय द्वारा पहले ही स्थापित की जा चुकी है तो इसे अभातशिप द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि इन के संबंध में कोई विवाद न हो।

8. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई भारतीय संस्था यदि डिग्री तथा/अथवा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम संचालित करना चाहती है तो उसे संबंधित सम्बद्धक विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।

9. संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यक्रमों के प्रारम्भ से पूर्व सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जायें, शैक्षिक आवश्यकताएं निश्चित कर दी जायें और उनकी घोषणा कर दी जाये।

10. देश के राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाला कोई पाठ्यक्रम/कार्यक्रम भारत में चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए चलाये जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए वसूला जाने वाला शुल्क और प्रवेश क्षमता , संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था का पक्ष विधिवत् सुनने के पश्चात अभातशिप द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

12. किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा शिक्षा प्रदान करने के भिन्न-भिन्न साधनों के संबंध में प्रयोग करने सहित अन्य शैक्षणिक नवप्रर्वतनों के लिए अनुमति तभी दी जायेगी जब इस प्रकार की पद्धति या तो भारत में या फिर उनके अपने मूल देश में सुस्थापित हो।

13. विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था को प्रवेश के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों, प्रवेश स्तरीय अर्हताओं, परीक्षा पद्धति तथा ग्रेडिंग के बारे में पहले से ही घोषणा करनी होगी और उनके अपने मूल देश की तुलना में भारत में निर्धारित पद्धतियों के साथ बहुत अधिक अंतर नहीं रखा जायेगा।

14. भारत में कार्यक्रम चलाने वाले संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था की यह जिम्मेंदारी होगी कि वह अपने अभातशिप अनुमोदित केन्द्रों को, इन केन्द्रों से दो बैच उत्तीर्ण होकर जाने के तुंरत पश्चात राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल से प्रत्यायित करा ले। किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सहकारी निजी शैक्षिक सेवा प्रदाताओं के अध्ययन केन्द्रों/संस्थाओं को उस विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था का एक केन्द्र माना जायेगा भले ही प्रबंधन, भारतीय शैक्षिक सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा हो।

15. प्रवेशों, प्रवेश अर्हताओं तथा तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन के बारे में विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था, उन्हें समय-समय पर सूचित की जाने वाली अभातशिप की सलाह से बाध्य होंगे।

16. इन विनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के लिए मध्यस्थता का प्राधिकार भारत की केन्द्र सरकार में शिक्षा विभाग के सचिव को होगा और इस का विधायी न्यायाधिकार, केवल नई दिल्ली की सिविल अदालतों को होगा।

17. पंजीकरण के लिए अभातशिप द्वारा कोई अन्य शर्त भी निर्धारित की जा सकती है यदि देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समग्र हित में ऐसा करना अति आवश्यक हो।

18. डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक सहकारिता रखने वाली वर्तमान भारतीय संस्थाओं को अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त करने और भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुविधा दी जायेगी ताकि ऐसी संस्थाओं को भारत में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

19. भारत में विभिन्न रूपों में पहले से ही कार्य संचालन कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 6 महीने के अंदर या फिर आगामी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले, जो भी पहले हो, अभातशिप का अनुमोदन नए सिरे से प्राप्त करना होगा और वे अभातशिप के विनियमों तथा दिशा-निर्देशों से शासित होंगी।

दण्डात्मक उपाय और पंजीकरण वापस लेने की शर्तें

1. यदि कोई विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था, उपर्युक्त विनियमों में निहित किसी शर्त का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है तथा/अथवा अभातशिप की सलाह के विपरीत , कोई उपचारत्मक कार्रवाई करने से लगातार बचती है तो सुनवाई के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था को उचित अवसर देने के बाद अथवा ऐसी कोई जांच करने के बाद जिसे कि परिषद् आवश्यक समझे, अभातशिप भारत में अपनी उपाधियों, डिप्लोमाओं को चलाने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय/संस्था को दिया गया पंजीकरण वापस ले सकती है और उक्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था को केन्द्र खोलने अथवा भारत में किसी विश्वविद्यालय/संस्था के साथ या फिर किसी निजी शैक्षणिक सेवा प्रदाता के साथ कोई सहकारी व्यवस्था करने से रोक सकती है।

2. अभातशिप विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित संबंधित एजेंसियों को भी निर्णयों के बारे में सूचित करेगी और इन एजेंसियों को निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी उपाय करने की सलाह देगी-

क. उक्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था के कर्मचारियों/शिक्षकों को वीजा प्रदान करने से इनकार करना/वीजा वापस लेना।

ख भारत से अपने मूल देश में धन वापस ले जाने से रोकना।

ग समाचार माध्यमों अथवा विजुअल मीडिया में उक्त विश्वविद्यालय/संस्था के विज्ञापन निषिद्ध करना।

पंजीकरण वापस लेना

किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था का पंजीकरण वापस ले लिये जाने के बाद परिषद् संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से इन कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं में पुनः आबंटित करने के प्रयास करेगी। ऐसे मामलों में विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था को उन विद्यार्थियों से लिया गया समस्त शुल्क उन आबंटी संस्थाओं को वापस करना होगा जिनमें इन विद्यार्थियों को भेजा जायेगा। ऐसी विदेशी संस्थाओं को भारत में कोई अन्य केन्द्र/संस्था खोलने की अथवा कोई सहकारी व्यवस्था करने की अनुमति नहीं जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था, एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रविष्ट छात्रों की संख्या, संचालित कार्यक्रमों, वसूले गए कुल शुल्क, मूल देश को हस्तांरित राशि, किये गये निवेश, डिग्री, डिप्लोमा प्रदत्त विद्यार्थियों की संख्या का ब्योरा और अभातशिप द्वारा मांगी गई कोई ऐसी ही जानकारी समाविष्ट की गई होगी।

व्याख्या

यदि इन विनियमों के अर्थगृहण के बारे में कोई सवाल खड़ा होता है तो इस पर निर्णय अभातशिप द्वारा लिया जाएगा।

IndiaCode

इन विनियमों के कार्यान्वयन के बारे में उठने वाले किसी संदेह के निवारण के लिए अभातशिप को स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

प्रोफेसर पी. एन. राजदन, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/असाधा./162/03]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2003

Regulations for Entry and Operation of Foreign Universities/Institutions Imparting Technical Education in India

No. F. 37-3/Legal (vi)/2003.— In exercise of the powers conferred under Clause (b), Clause (f), Clause (g) and Clause (n), (o), (p) of Section 10, read with Section 23 of the AICTE Act, 1987 (52 of 1987), the Council hereby makes these regulations with following broad objectives for regulating entry and operation of Foreign Universities / institutions imparting technical education in India.

Objectives:

a. To facilitate collaboration and partnerships between Indian and foreign universities / institutions in the field of technical education, research and training.

b. To systematize the operation of Foreign Universities/Institutions already providing training and other educational services including that of coaching of students, in India leading to award of *degree and diploma* in technical education, either on their own or in collaboration with an Indian educational institution or with a private educational service provider, under any mode of delivery system such as conventional/ formal, non-formal and distance mode.

c. To safeguard the interest of student's community in India and ensure uniform maintenance of Norms and Standards of AICTE;

d. To enforce accountability for all such educational activities by foreign universities / institutions in India;

e. To safeguard against entry of non-accredited universities / institutions in the country of origin to impart technical education in India.

f. To safeguard the nation's interest and take punitive measures, wherever necessary, against the erring institutions, on case-to-case basis.

Short title and Commencement :

1. These regulations may be called the AICTE Regulations for Entry and Operation of Foreign Universities in India *imparting technical education*, 2003.

2. These *regulations* shall come in force on the date of their publication in the official gazette.

Applicability :

These regulations shall cover and apply to:

1. Foreign universities / institutions interested in imparting technical education in India leading to award of diplomas and degrees including post graduate and doctoral programmes.
2. Indian university / institution and/ or private educational service provider interested in imparting technical education leading to the award of degrees / diplomas of a foreign university through collaborative arrangements.
3. The existing collaborative agreements/ arrangements with Foreign Universities/Institutions offering technical education in India.
4. Any other educational activity carried out in India, in any manner, by the foreign universities/ institutions, as may be decided by the Council to bring such activities under these Regulations.

On commencement of these Regulations no foreign university/ institutions shall establish /operate its educational activity in India leading to award of diplomas/ degrees including post graduate and doctoral without the expressed permission /approval of the Council.

Definitions :

Unless the context otherwise requires :

a. AICTE means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the AICTE Act (52 of 1987) by the parliament for co-ordinated development of technical education in the country.

b. NBA means the National Board of Accreditation, authorized body under AICTE Act to accredit programmes of technical education imparted by universities / institutions in India and recommend recognition/de-recognition of institution or the programme.

c. All other words and expressions used herein and not defined above but defined in the AICTE Act shall have the meaning as assigned to it in AICTE Act (52 of 1987).

Procedure for Registration :

1. Any application to AICTE by a Foreign University / Institution seeking to operate in India either directly or through collaborative arrangement with an Indian University / Institution or a private educational service provider must be accompanied by a No-objection certificate issued by the concerned Embassy in India. The Missions of the concerned countries shall be required to certify genuineness of the educational institutions of their respective countries willing to offer study programmes in India.
2. The concerned Foreign University / Institution shall submit a Detailed Project Report (DPR) to AICTE alongwith application in a prescribed form, giving details regarding infrastructure facilities, facilities available for instruction, *faculty*, prescribed fee, courses, curricula, requisite funds for operation for a minimum period of three years and other terms and conditions of collaboration, if any, alongwith relevant details.
3. AICTE shall after receiving the application alongwith DPR, acknowledge the receipt of the application. The proposal shall then be processed internally and any deficiency shall be communicated and additional documents, if any required, shall be asked for.
4. Once the AICTE is convinced that the proposal is complete in all respects, a standing committee nominated by the Council shall consider the proposal and invite presentation, if warranted.
5. On the recommendations of the Standing Committee, the Chairman, AICTE shall nominate an Expert Committee to visit the institution and assess the compliance of minimum Norms and Standards in respect of infrastructural and instructional facilities to start programmes of technical education and training.
6. The Council shall consider the recommendations of the Standing Committee and the Expert Committee in regard to the quality of education, overall merit of the proposal, credibility of the programme provider of the foreign country vis-à-vis the institution intending to start the programmes in India and decide conclusively on the application regarding grant of approval or otherwise for registration.

7. AICTE shall issue a certificate of registration containing therein the intake fixed for each programme to the concerned educational institution / university declaring it's eligibility to perform the prescribed functions and the names of such universities / institutions shall automatically stand included in the list of registered / approved university / institution by the AICTE in their relevant list.
8. The registration so granted shall be valid for a specified period during which AICTE may review the progress made and periodically inform the concerned agencies about the results of such a review. After expiry of the said period, the AICTE may extend the registration or withdraw the registration or impose such other conditions for extension, as it may consider appropriate.
9. *During the period of operation the institution shall be treated on par with other technical institutions in India and shall be governed by all the Rules, Regulations, Norms and Guidelines of AICTE issued from time to time.*

Conditions for Registration :

1. Proposal from the foreign universities/ institutions shall be considered under these Regulations provided that they themselves establish operation in India or through collaborative arrangements with either an Indian institution created through Society/ Trust Act or the relevant Act in India or with a private educational service provider registered as such in India. No franchisee system shall be allowed under these Regulations.
2. *Accreditation by the authorized agency in parent country with higher grades* where grading is available, *shall be the pre-requisite condition for any Foreign University / Institution to start its operation for imparting technical education in India.*
3. *An Indian technical Institution interested in collaborating in the field of technical education, research or training with a Foreign University Institution must be an* affiliated institution of university in India or a deemed university having adequate infrastructure for imparting technical educational programmes. It shall be desirable for such Indian institution to have acquired accreditation of its programes by NBA of AICTE or shall be in a position to do so at the earliest possible. However, this clause of accreditation shall not be applicable for a De-novo institution or new project proposals.
4. The foreign university/ institution shall furnish an undertaking declaring therein *that the degrees/ diplomas awarded to the students in India shall be recognized in*

the parent country and shall be treated equivalent to the corresponding degrees/ diplomas awarded by the university/ institution at home.

5. *The educational programmes to be conducted in India by foreign universities / institutions leading to award of degrees, diplomas, shall have the same nomenclature as it exists in their parent country. There shall not be any distinction in the academic curriculum, mode of delivery, pattern of examination etc. and such degrees and diplomas must be recognized in their parent country.*

6. All such foreign university / institution which is registered in India for imparting technical education leading to award of degrees and diplomas shall have recognition at par with equivalent Indian degrees, subject to the fulfillment of criteria laid down at Clause 7 below.

7. *The proposal from foreign university seeking equivalence of technical courses/ programmes at degree, diploma or post graduate level for mutual recognition of qualifications for the purpose of imparting such courses in India under collaborative arrangements or otherwise shall be considered by AICTE through its Standing Committee on Equivalence or such other mechanism as may be decided. In case such equivalence has already been established by AIU or any recognized Government body, the same may be accepted by AICTE for the purpose provided those are not in dispute.*

8. Indian Institutions affiliated to an Indian University and willing to offer programmes of foreign universities leading to award of degrees and/or diplomas must have prior concurrence of the concerned affiliating university.

9. It shall be the responsibility of the concerned Foreign university / institution to provide for and ensure that all facilities are available, the academic requirements are laid down and announced prior to starting of the programmes.

10. *Any course / programme which jeopardizes the national interest of the country shall not be allowed to be offered in India.*

11. The fee to be charged and the intake in each course to be offered by a foreign university / institution leading to a degree or diploma shall be as prescribed by the AICTE, giving undertaking to the concerned Foreign University/institution.

12. *Educational innovations including experimentation with different modes of delivery by a foreign university / institution shall only be allowed provided such a system is well established either in their parent country or in India.*

13. *The Foreign University / institution shall have to declare in advance the detailed guidelines for admissions, entry level qualifications, the examination pattern and grading and there shall not be major deviations with the prescribed procedures in their parent country., vis-à-vis in India.*

14. It shall be the responsibility of the concerned Foreign university / institution offering programmes in India to get their AICTE approved centers, accredited by NBA soon after two batches have passed out from such centers. The study centers/ institutions of collaborating private educational service providers which impart technical education leading to the award of a degree / diploma of a foreign university shall be considered as a center of the foreign university / institution, even though the management may be provided by the Indian educational service provider.

15. *The foreign university / institution shall be bound by the advice of AICTE with regard to admissions, entry qualification and the conduct of courses programmes in technical education, as may be communicated to them from time to time.*

16. *For any dispute arising out of implementation of these regulations, arbitration authority shall be the Secretary, Department of Education in the Central Government of India and the legal jurisdiction shall be the Civil Courts of New Delhi only.*

17. *AICTE may prescribe any other condition for registration, if it is expedient to do so in the overall interest of the technical education system in the country.*

18. *The existing Indian institutions having academic collaboration with Foreign University for grant of degree/ diploma will be facilitated to seek AICTE's approval and obtain affiliation with Indian university system with an aim to integrate such institutions with the mainstream of technical education system in India.*

19. *The Foreign Universities / institutions already operating in India in various form shall have to seek fresh approval from AICTE within six months from the date of issuance of this notification or before commencement of ensuing academic session, whichever is earlier and shall be governed by the Regulations and Guidelines of AICTE.*

Punitive Measures and Conditions for Withdrawal :

1. If a foreign university / institution fails to comply with any of the conditions as contained in the above regulations and/or consistently refrains from taking corrective actions contrary to the advice of the AICTE, the AICTE may after

giving reasonable opportunity to the concerned university/institution *through hearing or after making such inquiry as the Council may consider necessary, withdraw the registration granted to such university institution to offer their degrees, diplomas in India and forbid such foreign university institution to either open Centres or enter into any collaborative arrangement with any University / Institution in India or with a private educational service provider.*

2. The AICTE shall also inform the concerned agencies including Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, RBI *of such decisions and advise these agencies to take any* or all of the following measures:

 a. Refusal / withdrawal for grant of visa to employees/teachers of the said foreign university / institution.
 b. Stop repatriation of funds from India to home country.
 c. Forbid the advertisement of said university / institution in print or visual media.

Withdrawal :Once the registration of a Foreign University/Institution is withdrawn, the Council shall make attempts in co-ordination with concerned State Govt. to re-allocate the students enrolled into such programmes to other approved institutions of the Council. The foreign university/institution in such cases, shall have to return the entire fee collected from such students to the allottee institutions in which such students are accommodated. Such foreign institutions *shall not be allowed* to open any other centre/institution or enter into a collaborative arrangement in India.

Annual Reports : The Foreign university / institution shall submit an annual report giving details of the number of students admitted, programmes conducted, total fee collected, amount transferred to parent country, investment made, number of students awarded degree, diploma and any such information that AICTE may ask for.

Interpretation : If any question arises as to the interpretation of these regulations the same shall be decided by the AICTE.

The AICTE shall have power to issue any clarifications to remove any doubt, which may arise in regard to implementation of these regulations.

Professor P. N. RAZDAN, Member-Secy.

[Advt. III/IV/Exty./162/03]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.